सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

सर्व शिक्षा अभियान,

समस्त जनपद, उ0प्र0।

पत्रांकः रा0प0नि0/ 4141 /2011-12 लखनऊ, दिनांक : 22 नवम्बर, 2011

विषयः समेकित शिक्षा के अन्तर्गत एकेडमिक स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट मद में धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

समेकित शिक्षा के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में भी गत वर्षों की भांति 03 दिसम्बर, 2011 को 'विश्व विकलांगता दिवस' का आयोजन किया जाना है। इस अवसर पर विकलांग बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार आयोजित की जानी है। उदाहरणार्थ कुछ प्रतियोगिताओं का विवरण निम्नवत् है :

1. सुलेख प्रतियोगिता, 2. चित्रकला प्रतियोगिता, 3. अन्ताक्षरी, 4. गणित दौड़, 5. कुर्सी दौड़, 6. ट्राई साइकिल रेस, 7. रस्साकसी प्रतियोगिता, 8. रंगोली प्रतियोगिता, 9. छू कर पहचानो (दृष्टि अक्षम बच्चों के लिए), 10. गायन / नृत्य प्रतियोगिता, 11. फैन्सी ड्रेस प्रतियोगिता, 12. क्रिकेट आदि।

एकेडमिक स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट मद की धनराशि से तहसील एवं जिला स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तहसील स्तर पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन / समापन उप जिलाधिकारी से कराया जाये। तहसील स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन नवम्बर, 2011 के अंतिम सप्ताह में करा लिया जाए। दिनांक 03 दिसम्बर, 2011 को विश्व विकलांगता दिवस को जनपद स्तर पर आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन / समापन मण्डलायुक्त / जिलाधिकारी / मुख्य विकास अधिकारी से कराया जाए। तहसील एवं जिला स्तरीय कार्यक्रमों में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को प्रमाण पत्र एवं पुरस्कार दिए जाएं।

जिला समन्वयक (समेकित शिक्षा) विकलांगता दिवस के आयोजन हेतु तहसील स्तरीय एवं जनपद स्तरीय कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार कर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। तहसील स्तरीय कार्यक्रमों में तहसील के संबंधित विकासखण्डों के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले विशिष्ट आवश्कता वाले बच्चे भाग लेंगे। जनपद स्तर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में तहसील स्तरीय विभिन्न प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे एवं गंभीर रूप से विकलांग बच्चों के लिए चलाए जाने वाले आवासीय प्री-इन्टीग्रेशन कैम्पस के बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इन कार्यक्रमों के आयोजन के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए एवं कार्यक्रम में जनसमुदाय, प्रेस एवं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जाए। स्पेशल ओलम्पिक द्वारा आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों / प्रशिक्षणों हेतु आवश्यक व्यय इसी मद से वहन किये जायेंगे।

उपरोक्त कार्यक्रमों के आयोजन हेतु एकेडमिक स्पोर्ट्स एवं कल्चरल मीट मद में जनपद जालौन को रू0 20,000/- एवं शेष जनपदों को रू0 50,000/- प्रति जनपद की दर से धनराशि इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर द्वारा इस आशय से अवमुक्त की जा रही है कि व्यय सर्व शिक्षा अभियान के वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाए। जनपद स्तरीय कार्यक्रम हेतु अधिकतम रू0 20,000/- तक की धनराशि व्यय की जा सकेगी शेष धनराशि से तहसील स्तरीय कार्यक्रमों की व्यवस्था की जाये। आयोजन के पश्चात आख्या, पेपर्स कटिंग्स, वीडियो सी0डी0 एवं 10 फोटोग्राफ्स राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराए जाएं।

उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)

राज्य परियोजना निदेशक

दूरभाष : 27[illegible], 2781316 फैक्स : 0522-2781123, 278[illegible], 2781316 ई-मेल : [illegible]

पृ०सं०: अ०प०नि०/4141 /2011-12 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, समस्त सर्व शिक्षा अभियान जनपद।
2. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), समस्त संबंधित मण्डल।

1.11.11

(डी०बी०शर्मा)

अपर परियोजना निदेशक